

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव एवं राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग -10

लखनऊ: दिनांक 21 दिसम्बर, 2007

विषय:- वर्ष 2007-08 में सम्भावित शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्य हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5261/1-10 2007-12(34)/2003, दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के द्वारा शीतलहरी के प्रकोप से बचने के लिए श्री गॉंधी आश्रम, यूपिका, उ०प्र० लघु उद्योग निगम एवं उ०प्र० निर्यात निगम को कम्बलों की आपूर्ति हेतु मण्डलों का आवंटन किया गया था।

इस सम्बन्ध में कम्बलों की आपूर्ति के सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी हेतु शासन स्तर पर एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आपूर्ति करने वाली सभी फर्मों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में यूपिका ने कम्बलों की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की तथा उ०प्र० लघु उद्योग निगम, उ०प्र० निर्यात निगम ने निर्धारित मानको के अनुसार आपूर्ति करने में अपनी कठिनाई व्यक्त की।

चूँकि प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है और इसके प्रकोप से गृहविहीन/निराश्रित/असहाय व्यक्तियों को बचाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल राहत के उद्देश्य से श्री गॉंधी आश्रम, शासनादेश संख्या-5261/1-10 2007-12(34)/2003, दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 में निर्धारित शर्तों व मानको के अनुसार यूपिका, उ०प्र० निर्यात निगम व लघु उद्योग निगम को आवंटित मण्डलों की प्रत्येक तहसील में 100 कम्बल प्रति तहसील की आपूर्ति भी करेंगे। संख्या-5261/1-10 2007-12(34)/2003, दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 इस सीमा तक संशोधित व परिमार्जित समझा जाय।

कृपया शासन के उक्त निर्णयानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,



(उमेश सिन्हा)

सचिव एवं राहत आयुक्त ।

संख्या-5261(1)/1-10-2007-12(34)/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री ।
- 2- स्टाफ आफिसर मंत्रि मण्डलीय सचिव ।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।
- 4- महालेखाकार, (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 6- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ ।
- 7- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 10- प्रबन्ध निदेशक, /रीजनल मैनेजर, यूपिका 86 हजरतगंज लखनऊ ।
- 11- प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 निर्यात निगम, 2 महाराणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।
- 12- प्रबन्ध निदेशक, /रीजनल मैनेजर, लघु उद्योग निगम, बी-25सिलिएनसिलेरी, स्टेट, नादरगंज अमौसी लखनऊ ।
- 13- सचिव/प्रबन्धक, श्रीगोंधी आश्रम, हजरतगंज लखनऊ ।
- 14- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/राजस्व अनुभाग-6/राजस्व अनुभाग-11
- 15- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से



(ओम प्रकाश)

उप सचिव ।